



पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

(अनुसूचित जाति विद्यार्थियों हेतु)



मुख्य लाभ

- ✓ कोई आय सीमा नहीं – शासन/केंद्र शासन संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु
- ✓ सम्पूर्ण ट्यूशन, परीक्षा एवं अन्य अप्रतिदेय शुल्क – छात्रवृत्ति से भुगतान
- ✓ आसान, पेपरलेस आवेदन एवं डायरेक्ट आधार लिंक खाते में भुगतान
- ✓ सभी मध्यप्रदेश के निवासी SC वर्ग के विद्यार्थी योजना हेतु पात्र

अन्य लाभ

1. शैक्षणिक भत्ता – पाठ्यक्रम समूहवार प्रति वर्ष ₹13,500/- तक
2. दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु 10% अतिरिक्त शैक्षणिक भत्ता
3. आवास योजना – किराये पर रहने वाले विद्यार्थियों को ₹2,000/- प्रतिमाह तक
4. निःशुल्क छात्रावास सुविधा-भोजन एवं आवास सहित विभागीय छात्रावास

आवश्यक दस्तावेज़

- ✚ समग्र आईडी (eKYC आधारित)
- ✚ जाति प्रमाणपत्र
- ✚ आय प्रमाणपत्र
- ✚ निवास प्रमाणपत्र
- ✚ आधार-सीडेड बैंक खाता

अभी आवेदन करें: tribal.mp.gov.in/mptaas

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन